(8)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं0 486 – /प्र0खण्ड जोन–6/2016 दिनांक: 18/1/2016

भाद–द

पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र

मैसर्स शौमैन क्लब एण्ड इन्स0 प्रा0लि0 (मै0 इन्दिरापुरम हैबीटेट सेन्टर प्रा0लि0) द्वारा इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत अंहिसाखण्ड–1, भूखण्ड सं0–16, पर निर्मित भवन के ब्लॉक A, B, C, E, F, H, J & L के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री अजित कुमार सिंह अवर अभियन्ता व श्री मनोज कुमार शुक्ला अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है, एवं निम्न कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2016 की स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुरूप दिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क (2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.01.2016 को निम्न शर्तों के अनुसार पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

शर्ते :–

1. एक्सक्लेटर को अभी तक प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। इसे प्रतिस्थापित करने के उपरान्त ही सुरक्षात्मक सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण से अनुमति लिये जाने के पश्चात् ही एक्सलेटर का उपयोग किया जा सकेगा।
2. फायर द्वारा जारी अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन करने एवं सदैव क्रियाशील रखने तथा प्रतिवर्ष रिनिवल प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. विद्युत सुरक्षात्मक सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।
4. लिफ्ट के मेन्टीनेन्स की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।
5. वृक्षारोपण के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सम्बन्धी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए आवेदक/ विकासकर्ता जिम्मेदार होगा।

क्रमशः पेज (10)

अवर अभियन्ता | अवर अभियन्ता | A.E. 18/01/16 वाई0एन0 चौधरी सहायक अभियन्ता गा0वि0प्रा0 गाजियाबाद

7. स्थल पर रिक्रेशनल उपयोग में कामर्शियल गतिविधियां निषिद्ध होंगी, तथा किसी भी उपयोग के सम्बन्ध में विवाद होने पर डीड में उल्लिखित उपयोग ही मान्य होगा।
8. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाते समय पुनः पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भाग की तकनीकी व स्थलीय परीक्षण एवं उपयोग के परीक्षण का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
9. भवन के स्ट्रक्चरल/ऐलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए ये समस्त व्यक्ति जिम्मेदारी होगें।
10. रैनवाटर हार्वेस्टिंग को सदैव क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी, तथा इसकी जांच किसी भी समय करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।
11. समस्त मेन्टीनेन्स की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।
12. सम्पूर्ण भाग का पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रदूषण विभाग की अनापत्ति एवं पर्यावरण की अनापत्ति प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व समस्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

18/01/16

वाई0एन0 चौधरी
सहायक अभियन्ता
गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद

(वाई0एन0 चौधरी)
सहायक अभियन्ता,
प्रवर्तन जोन–6

अवर अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड जोन 6

J.E.

अवर अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड जोन 6